सवाई मानसिंह अस्पताल में बत्ती गुल... छा गया अंधेरा

न पर्ची कटी, न ओपीडी में मरीजों को देख सके डॉक्टर

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में गुरुवार सुबह धनवंतरी ओपीडी में करीब आधा घंटा बिजली गुल रही, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बिजली गुल होने के कारण न तो ओपीडी पर्चियां कट पाई, न ही मरीजों की जांच हो सकी। हजारों की संख्या में दूर-दराज से आए मरीज और उनके परिजन, लंबे इंतजार के बाद भी न डॉक्टर से मिल पाए और न ही जरूरी परीक्षण हो सके। अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम, पर्ची मशीनें और अन्य मेडिकल उपकरण भी बिजली के बिना ठप हो गए।

यह पहली बार नहीं है, जब एसएमएस अस्पताल में बिजली गुल हुई हो। बीते महीनों में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, मगर प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। अस्पताल प्रशासन के दावों के बावजूद न तो बैकअप जनरेटर पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं, और न ही कोई वैकल्पिक आपूर्ति तंत्र मज़बूत किया गया है।

सवाई मानसिंह अस्पताल की धनवंतरी ओ.पी.डी. में बिजली गुल होने के कारण मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी।

- काफी देर तक परेशान होते रहे मरीज और उनके परिजन

राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही, न केवल जनता की सेहत, बल्कि सरकारी सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करती है। हर दिन सैकड़ों गंभीर मरीज इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकता का बार-बार बाधित होना, अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है।

एसएमएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की हालत देखते ही बनती है। दूर-दराज से इलाज की आस में आने वाले मरीज और उनके परिजन ओपीडी शुरु होने से पहले ही पर्ची बनवाने के लिए घंटों पहले ही लाइनों में खड़े रहते है।

आज भी ऐसा ही हुआ था जब इलाज के लिए आए 62 वर्षीय हरिराम मीणा ने बताया कि वह काफी देर से लाइन ओपीडी की पर्ची के लिए लगा था, नंबर आया तो बिजली चली गई। वहीं दूसरी ओर कम्प्यूटर ऑपरेटर का कहना था कि सिस्टम नहीं चल रहा है तो हम क्या करें।

'गोपालगढ़ हिंसा मामले में आरोपी को घटना की सीडी और कैसेट मुहैया कराए सीबीआई'

जयपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह भरतपुर के गोपालगढ में सितंबर, 2011 में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान बनाई सीडी, डीवीडी और कैसेट आरोपी को मुहैया कराए। अदालत ने यह आदेश गोपी गुर्जर के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

मामले से जुडे अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत प्रार्थी को चालान के साथ कैसेट, सीडी व डीवीडी नहीं दिलाई गई है। जबकि सीबीआई इन साक्ष्यों को डवलप करवाकर कोर्ट में प्रदर्शित करवाना चाहती है। इसलिए उन्हें भी इन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को मुहैया कराया जाए। कोर्ट ने आरोपी के प्रार्थना पत्र पर सीबीआई को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कैसेट, सीडी व डीवीडी उसे मुहैया कराने के लिए कहा।

गौरतलब है कि अदालत में फिलहाल अभियोजन पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामले में करीब 250 गवाहों में से अभी 65 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं। भरतपुर के गोपालगड़ कस्बे में 14 सितंबर 2011 को मेव समाज और गुर्जर समाज के आमने-सामने होने के कारण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। घटना में दस लोगों की मौत और 45 लोग घायल हुए थे।

दिनभर की उमस के बीच गुरूवार दोपहर बाद शहर में तेज बारिश का दौर चला। इस दौरान टी.एन.मिश्रा मार्ग और न्यू सांगानेर रोड तिराहे पर मिट्टी कटाव के कारण सड़क भी धंस गई।

स्पोर्ट्स इंजरी का आधुनिक इलाज आरयूएचएस में संभव

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर के आर.यू.एच.एस अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों और अस्थि रोगियों के लिए अब एक और राहत भरी सुविधा की शुरुआत की गई है। स्पोर्ट्स इंजरी और लिगामेंट सर्जरी अब आरयूएचएस अस्पताल में उपलब्ध है। इस नई सुविधा के तहत गुरुवार को 23 वर्षीय महिला खिलाड़ी की पहली सफल आर्थोस्कोपिक लिगामेंट सर्जरी (टिल सर्जरी) की गई।

- 23 वर्षीय महिला खिलाड़ी की निःशुल्क लिगामेंट सर्जरी सफल

चाकसू निवासी इस खिलाड़ी को खेल के दौरान घुटने में गंभीर चोट लग गई थी, जिससे वह न चल पा रही थी, न सामान्य जीवन जी पा रही थी। बार-बार सूजन और जोड़ों के अटकने की समस्या बनी हुई थी।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने जानकारी दी कि बीते 2 जून को आरयूएचएस अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा शुरू की गई थी। इसके तुरंत बाद प्लास्टिक सर्जरी विभाग की शुरुआत हुई, और अब स्पोर्ट्स इंजरी से जुड़ी लिगामेंट सर्जरी सुविधा भी रोगियों के लिए उपलब्ध है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेश मंगल ने कहा कि यह कदम खासकर ग्रामीण और खेल क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है, जो अब महंगे इलाज के कारण इलाज से वंचित नहीं रहेंगे। सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की उन्नत तकनीकी सर्जरी का प्रारंभ होना चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने बताया कि डॉ. सिद्धार्थ शर्मा और उनकी टीम ने इस जटिल सर्जरी को पूरी तरह मुफ्त में, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आमतौर पर इस तरह की सर्जरी पर निजी अस्पतालों में लाखों रुपये खर्च होते हैं।

नाटक 'द कोन्फ्लिक्ट' का सफल मंचन

जयपुर। मंडप नाट्ययगृह जगतपुरा में रंगलोक थिएटर एकेडमी जयपुर की तरफ से डॉ योगेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित एवं निर्देशित हिंदी नाटक द कोन्फ्लिक्ट की सशक्त प्रस्तुति की गयी इस नाटक का मुख्य पात्र एक हिंदी लेखक है, जिसकी कहानियाँ के भिन्न भिन्न पात्रो के द्वन्द से वो खुद कैसे जूझता है लेखक की हर कहानी के पात्रो की मनोस्थिति अलग अलग है फिर भी लेखक की मनोस्थिति से किस तरह से जुड़ता है और कैसे वो अपने मन की गहराई तक पड़ताल करता है अपने सशक्त अभिनय से डॉ शिव सिंह पालावत ने लेखक की भूमिका को मंच पर साकार कर दिया, उसके साथ विजेंद्र सिंह निर्वान और कृष्ण कुमार शर्मा ने भी सहायक भूमिकाओं में अपने अपने किरदारों के साथ पूरा पूरा न्याय किया, नाटक में प्रकाश संयोजन धर्मेन्द्र भारती संगीत प्रताप सिंह राजावत, कॉस्टयूम ज्योति अग्रवाल मंच शिल्प राजीव महर्षि का रहा।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले चचेरे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले दो चचेरे भाइयों सहित एक अन्य अभियुक्त संजय को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि पीडिता के पिता ने अपने भतीजे को फ्लैट में रहने की अनुमति दी और उसे पड़ा लिखाकर टैक्सी चलाने का काम सिखाया, लेकिन अभियुक्त भतीजों ने बहन के रिश्ते को कलंकित करते हुए उसके साथ कई बार न सिर्फ खुद दुष्कर्म किया, बल्कि अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका गैंग रेप भी किया। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

- अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
- अभियुक्तों को बीस साल की सजा सुनाई

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने 4 मई, 2021 को भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके दोनों अभियुक्त भतीजों को उनके पिता की मौत के बाद वह अपने पास रखकर पालन पोषण कर रहा है। उसके एक भतीजे ने पीडिता की उम्र 11 साल होने के दौरान उससे छेडछाड करनी शुरू कर दी थी।

वहीं एक बार रात के समय अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कई बार भतीजे ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी दूसरे भतीजे और उसके दोस्त को मिलने पर उन दोनों ने भी कई बार पीडिता के साथ जबरन संबंध बनाए।

इस दौरान वह गर्भवती हो गई तो उसे गोलियां देकर गर्भपात भी कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि गत तीस अप्रैल को उसका भतीजा दो दिन के लिए घर से गया तो वह अपनी पीडिता पुत्री को अपने भांजे के घर छोड़ आया। जहां भांजे की पत्नी ने पीडिता से गुमसुम रहने का कारण पूछा तो पीडिता ने उसे सारी घटना बताई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। बचाव में अभियुक्तों ने कहा कि पीडिता के पिता ने अभियुक्त से पैसे और फ्लैट बेचने के विवाद को लेकर झूठा मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

आर.जी.एच.एस. में मरीजों के लिए बनेगा पेशेंट फ्रेंडली सिस्टम

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) अब और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनने की दिशा में अग्रसर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में योजना की गहन समीक्षा की और कई अहम निर्देश दिए। मंत्री ने साफ कहा कि योजना को पेशेंट फ्रेण्डली बनाया जाए और तकनीकी रूप से इतना सशक्त किया जाए कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न बचे। उन्होंने चेताया कि यदि इसके बावजूद भी किसी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की जीवन रक्षा से जुड़ी योजना में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सुगमता लाने के निर्देश दिए। अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर्स के एम्पेनलमेंट, क्लेम प्रक्रिया, और मरीजों के रजिस्ट्रेशन से लेकर टीआईडी जनरेशन और उपचार एप्रूवल तक सभी प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाने की बात कही गई। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की बेस्ट प्रैक्टिसेज को आरजीएचएस में लागू करने पर भी जोर दिया। बैठक में योजना के अंतर्गत एक ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही योजना पोर्टल पर फीडबैक ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा, जिससे लाभार्थी अपनी समस्याएं सीधे दर्ज कर सकेंगे और उनका त्वरित समाधान संभव हो सकेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में योजना की समीक्षा की।

- चिकित्सा मंत्री ने आर.जी.एच.एस. को और मजबूत करने के सख्त निर्देश दिए
- 'सरकार जल्द ही तकनीकी सुधार और निगरानी तंत्र भी विकसित करेगी'

प्रियंका गोस्वामी ने बताया कि योजना को फुल प्रूफ सिस्टम के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी स्तर पर भी आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि अनियमितता की आशंका शून्य हो। परियोजना निदेशक शिप्रा विक्रम ने योजना की कार्यप्रणाली और आने वाले सुधारों की विस्तृत जानकारी दी।

पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी से पूर्व सदस्य कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पेश

जयपुर। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में गुरुवार को एसओजी की ओर से ईडी मामलों की विशेष अदालत में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रति पेश की गई है।

एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले कार्मिक विभाग के अधिकारी को भी अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति मांगी। अदालत मामले में तीस जून को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 24 दिसंबर, 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस ने परीक्षा पूर्व चलती बस से 49 अभ्यर्थियों को पेपर हल करते पकडा था। मामले में जांच एजेंसी ने माना की आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन ने कटारा को पेपर और उत्तर कुंजी तैयार करने का दायित्व दिया था। वहीं कटारा ने प्रश्न पत्र घर लाकर उसकी रजिस्टर में नकल उतारी थी। वहीं प्रकरण में अन्य आरोपियों ने भी मिलीभगत कर पेपर को अगली कडी तक पहुंचाया था। जांच एजेंसी को जांच के दौरान बाबूलाल कटारा के घर से करीब 51 लाख रुपए की नकदी सहित करीब आधा किलोग्राम सोने के आभूषण भी बरामद मिले थे। मामले में एसओजी ने पूर्व में अदालत में कटारा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। वहीं बाद में प्रकरण में ईडी की ओर से प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रकरण से जुड़े सभी मामलों को सुनवाई के लिए ईडी कोर्ट भेजा गया।

- अदालत में आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले कार्मिक विभाग के अधिकारी को भी अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति मांगा

1200 मोजम्बिक विकलांगों को जयपुर फुट लगाया जायेगा

जयपुर। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की राजधानी मोपूता में विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट की 50 दिवसीय विशेष शिविर लगाकर 1200 मोजम्बिक विकलांगों को लाभान्वित किया जाएगा ।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस शिविर का विधिवत उद्घाटन 24 जून को विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवद्दन सिंह करेंगे।

इस अवसर पर मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त राबर्ट शेटकिनटांग और बी.एम.वी.एस.एस. के अध्यक्ष सतीश मेहता भी उपस्थित रहेंगे। बी.एम.वी.एस.एस. का 13 सदस्यीय तकनिकी दल मोपूता रवाना हो गया। इस शिविर के विष्णुकांत शर्मा प्रशासनिक अधिकारी है ।

उल्लेखनीय हैं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के इण्डिया फॉर हयूमैनिटीज" कार्यक्रम के अन्तर्गत इस शिविर में मोजाम्बिक के ऐसे विकलांगों का पुर्नवास किया जाएगा।

जेडीए ट्रिब्यूनल ने रेफरेंस याचिका खारिज की

जयपुर । जेडीए अपीलीय अधिकरण ने जेडीए की तीन आवासीय योजनाओं गंगा विहार, यमुना विहार व सरस्वती विहार में वकीलों को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का आग्रह करने वाली रेफरेंस याचिका को खारिज कर दिया। अधिकरण ने कहा कि यह रेफरेंस याचिका पूरे अधिवक्ता समुदाय के लाभ व हित के लिए दायर हुई है और इसमें वकीलों के लिए आवास नीति को लागू करने का आग्रह किया है। ऐसे में यह याचिका जनहित याचिका की श्रेणी में है। इसलिए रेफरेंस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता और ना ही अधिकरण को इसकी सुनवाई का ही क्षेत्राधिकार है। पीठासीन अधिकारी राजेश जैन ने यह आदेश गुरुवार को चन्द्रहास सिंह की रेफरेंस याचिका खारिज करते हुए दिया।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता साकेत पारीक ने कहा कि राज्य सरकार की आवास नीति-2013 के तहत वकीलों को भी आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा था। लेकिन जेडीए ने 2013 के बाद की किसी भी आवासीय योजना में वकीलों के लिए 5 फीसदी भूखंड आरक्षित नहीं रखे हैं। इसलिए राज्य सरकार से 2013 की नीति की क्रियांविति करवाई जाए और इन तीनों आवासीय योजनाओं में भी वकीलों के लिए भूखंड आरक्षित किए जाएं।

- जेडीए की तीन आवासीय योजनाओं में वकीलों को आरक्षण से इनकार

इसके जवाब में जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि आवासीय नीति के तहत ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट में वकीलों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था ना कि सभी आवासीय योजनाओं में। इसके अलावा रेफरेंस पीड़ित व्यक्ति ही दायर कर सकता है, जबकि यह रेफरेंस याचिका पूरे वकील समुदाय को लाभांविति करने के लिए पीआईएल की तौर पर दायर हुई है। अधिकरण को ऐसी रेफरेंस याचिका को पीआईएल के तौर पर सुनवाई का ही क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए रेफरेंस याचिका खारिज की जाए। अधिकरण ने जेडीए की दलीलों से सहमत होकर रेफरेंस याचिका खारिज कर दी।

'बजट घोषणा में स्वीकृत हैंडपंप व नलकूप निर्माण के कार्य जल्द पूरा करें'

जयपुर । जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत ने कहा कि बजट घोषणा 2024-25 और 2025-26 के तहत स्वीकृत हैंडपंप और नलकूप निर्माण से संबंधित कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि बजट में घोषित सभी परियोजनाओं को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंताओं के साथ बजट घोषणा, अमृत 2.0, अवैध जल कनेक्शन सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा 2025-26 के तहत स्वीकृत हैण्डपम्प निर्माण में दौसा जिले की शून्य प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है। उनका निर्माण कार्य शीघ्र किया जाए साथ ही मुख्यालय स्तर से इन कार्यों की नियमित रूप मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन एरोहेड की मौत

सवाईमाधोपुर। रणथंभौर में गुरुवार का दिन पर्यटकों के लिए दु:खद रहा। गुरुवार दोपहर जोगी महल के पास रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन टी-84 एरोहेड की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही बाघिन ने जोगी महल के पास पानी में मगरमछ का शिकार किया था। एरोहेड को ट्यूमर की बीमारी थीं जिसका इलाज भी चल रहा था। कुछ माह पहले मेडिकल टीम ने इसका इलाज किया और देख रेख की जा रही थी। इसकी मादा शावक कनकटी को आज ही मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था। उसके कुछ घंटे बाद ही बाघिन की मौत की सूचना आई।

- उधर शावक हुए शिफ्ट, इधर माँ ने कहा अलविदा

राजबाग पर हुआ पोस्टमार्टम : वन विभाग की ओर से नाका राजबाग पर बाघिन ऐरोहेड का गुरूवार शाम को पोस्टमार्टम किया गया। यहां पर कुछ पांच सितारा होटल के पर्यटकों को बाघिन के अंतिम संस्कार में अनुमति दी गई थी। इस दौरान मेडिकल बोर्ड ने बाघिन का पोस्टमार्टम किया । पोस्टमार्टम के दौरान यहां वन विभाग की संवेदनहीनता सामने आई। पर्यटक पोस्टमार्टम के खुलेआम वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए।

इस वाकया को मीडिया ने अपने कैमरे में कैद कर लिया तो रणथम्भौर के सीसीएफ अनूप के. आर. ने पर्यटकों से वीडियो नहीं बनाने की हिदायद की । जिसके बाद पर्यटकों ने अपने प्रोफेशनल कैमरे बंद किए । बाघिन के अंतिम संस्कार से पहले वन्यजीव प्रेमियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की । इस दौरान रणथम्भौर नेचर गाइड एसोसिएशन अध्यक्ष यादवेन्द्र सिंह सहित कई वन्यजीव प्रेमियों ने बाघिन को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उल्लेखनीय है बाघिन टी-84 ऐरोहेड की उम्र करीब 11 साल थी। बाघिन ने आखरी बार साल 2023 में तीन शावकों को जन्म दिया था। जिन्हें वन विभाग की ओर से हाल ही में रणथम्भौर से बाहर भेजा गया है।

अंता-बारां विधानसभा सीट पर उप चुनाव होंगे

जयपुर। बारां जिले की अंता - बारां विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग को अनुशंसा भेज दी है। अब आयोग तय करेगा उपचुनाव कब कराए जाएं। इसी के साथ राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां शुरू करते हुए जिले में के पहले फेज की चेकिंग भी पूरी कर ली है।

भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को अयोग्य करार देने के बाद यह सीट खाली हुई थी। कंवरलाल मीणा को 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान एक अधिकारी पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद मीणा ने स्थानीय मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया था।

हालांकि इस मामले में राज्यपाल के यहां बचाव की कोशिश की गई थी,लेकिन वहां से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व जनता अधिनियम (,1951) की धारा 8 (3) के तहत थी, जो दो साल या उससे अधिक की सजा पर स्वत: अयोग्यता लागू करती है।

डॉ. अशोक गुप्ता यूरोपीय अकादमी के पीओसी बोर्ड में नामित

जयपुर। बाल चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध चिकित्सा पेशेवर और विचार नेता डॉ. अशोक गुप्ता को यूरोपीय अकादमी के पीओसी बोर्ड में नामित किया गया है। वे सात सदस्यीय बोर्ड में एकमात्र गैर-यूरोपीय हैं और वे वहां पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। यह नामांकन दो साल के लिए है। यह समिति नैदानिक परीक्षणों में रोगी सुरक्षा और रोगियों को उचित और इष्टतम उपचार की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

- बाल चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध डॉक्टर गुप्ता इस 7 सदस्यीय बोर्ड में एकमात्र गैर-यूरोपीय व्यक्ति हैं

यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और कोडेन जैसे वैश्विक संगठनों के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। यूरोपीय एलर्जी और इम्यूनोलॉजी अकादमी जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है,स्विट्ज़रलैंडइसमें 124 देश और 50 राष्ट्रीय समाज शामिल हैं। यूरोपीय अकादमी ने भी नामांकन किया है।

गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर के डीन एवं प्रिंसिपल डॉ. अशोक गुप्ता को 13-16 जून, 2025 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए संस्थान द्वारा आमंत्रित किया गया था।

8 हजार से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति वाली इस बैठक में पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव और एलर्जी की बढ़ती घटनाओं पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉ. अशोक गुप्ता ने भारतीय परिदृश्य प्रस्तुत किया और भारत में एटोपिक डर्माटाइटिस, अस्थमा सहित श्वसन एलर्जी और खाद्य एलर्जी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अन्य कारणों के अलावा जीवनशैली में बदलाव, विशेषकर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का उपयोग, तथा अपर्याप्त बाहरी गतिविधियां भी इस मामले में वृद्धि का कारण बन रही है।